-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा 10 हजार के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.04.2025 की रात्रि को अपने साथियों संग थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी के साथ एक लाख रुपये की लूट की घटना को दिया गया था अंजाम ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनप में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रण लगाये जाने तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा 10 हजार के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 10.04.2025 को थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत शान्ति धाम स्कूल के पास अभियुक्तों द्वारा व्यापारी के साथ एक लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था । इस सम्बन्ध थाना अतर्रा पर **मु0अ0सं0 129/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था । प्रकरण में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 04 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है तथा मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे । पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा फरार/वांछित अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 15.04.2025 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना अतर्रा क्षेत्र के तुर्रा नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से लूट के 10 हजार रुपये बरामद हुआ है । गिरफ्तार अभियुक्त पर पूर्व में भी हत्या के प्रयास, पुलिस मुठभेड़ सहित आधा दर्जन मामलें दर्ज है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- हसीमुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ सीटी पुत्र शमसुद्दीन निवासी दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।

बरामदगी-

- लूट के 10 हजार रुपये ।

पंजीकृत अभियोग-

1. **मु0अ0सं0 129/25 धारा 309(4)(6)/317(2)/61(2) बीएनएस** थाना अतर्रा जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हसीमुद्दीन उर्फ पप्पू उर्फ सीटी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 63/12 धारा 380/411/459 भादवि थाना बदौसा जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 49/24 धारा 13 जुआं अधि0 थाना बदौसा जनपद बांदा ।
3. मु0अ0सं0 173/14 धारा 382/411 भादवि थाना बदौसा जनपद बांदा ।
4. मु0अ0सं0 174/14 धारा 307 भादवि व पुलिस मुठभेड़ 10/12 डीए एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
5. मु0अ0सं0 176/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
6. मु0अ0सं0 174/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आनन्द कुमार थानाध्यक्ष अतर्रा
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. उ0नि0 श्री शिवकुमार सिंह
4. उ0नि0 श्री सन्तलाल सरोज
5. हे0कां0 संदीप तिवारी
6. कां0 धीरेन्द्र सिंह
7. कां0 विश्वनाथ सिंह
8. कां0 अजय यादव
9. कां0 पवन पाल
10. कां0 कृष्ण कुमार
11. कां0 अभिषेक वर्मा